

फर्द अहकाम

(नियम 16)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) दांतारामगढ़ (सीकर)

नारायण बनाम उमा देवी

सं. मुकदमा 478 नं. 48 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---------------------------------	--

4-22

वादी की ओर से वकील श्री शिवपालसिंह ने यह दावा न्यायालय में पेश किया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो।

प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 26.05.2022 को पेश हैं।

हायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
दांतारामगढ़ जिला सीकर

2-5-22

पत्रावली वादी के मिशन तलब के बाद
पत्र 3 नं. तलब होकर पेश हुई। वादी ने
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन दिया कि
जोर अदालत की अर्चना के फलस्वरूप
अन्य रात्रीनाम से पुरा है अतः दावा खिड़ा
किहा जावे वादी की पटव्या वरीक वादी
की अर्चना के फलस्वरूप के अन्याय
से पुरा है अतः दावा खिड़ा करने की
स्वीकृति दी जाती है पत्रावली के लिये
शुदात होकर नम्बर के फलस्वरूप

लोक अदालत की
भावना खरजीनामा
नारायण राम
पटव्याकर्ता